Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
April to June 2025, E-Journal, Vol. I, Issue L (50), ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के कार्यान्वयन में चुनौतियाँ : एक आधारभूत अध्ययन

श्रीमती प्रीती बुंदेला* डॉ. राम सिंह पटेल**

* शोधार्थी, महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, छतरपुर (म.प्र.) भारत
** सह-प्राध्यापक, पं. मोतीलाल नेहरू विधि महाविद्यालय, छतरपुर (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – किशोर न्याय (बालकों की देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015, किशोर न्याय के प्रति भारत के दृष्टिकोण में एक ऐतिहासिक बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है, जो पुनर्वास और जवाबदेही के बीच संतुलन की दिशा में एक कदम को दर्शाता है। अपने प्रगतिशील प्रावधानों के बावजूद, अधिनियम का कार्यान्वयन कई स्तरों – प्रशासनिक, संस्थागत और सामाजिक-कानूनी – पर चुनौतियों से भरा रहा है। यह शोधपत्र, अधिनियम के उद्देश्यों को जमीनी स्तर पर साकार करने में आने वाली व्यावहारिक बाधाओं की जाँच करता है। यह राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर), राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) और अन्य क्षेत्रीय अध्ययनों के द्वितीयक आंकड़ों और रिपोर्टों के माध्यम से किशोर न्याय बोर्डों (जेजेबी), बाल कल्याण समितियों (सीडब्ल्यूसी) और बाल देखभाल संस्थानों (सीसीआई) के कामकाज का अध्ययन करता है। यह अध्ययन किशोर न्याय प्रणाली के प्रभावी कामकाज में बाधा डालने वाली प्रणालीगत कमियों, क्षमता की कमी और सामाजिक-आर्थिक बाधाओं की पहचान करता है। यह रिपोर्ट संस्थागत ढाँचों को मजबूत करने, अंतर-एजेंसी समन्वय में सुधार लाने, और कानून का उल्लंघन करने वाले किशोरों तथा देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के पुनर्वास और पुन: एकीकरण की प्रक्रिया को बढ़ाने के सुझावों के साथ समाप्त होती है।

शब्द कुंजी – किशोर न्याय अधिनियम 2015, बाल कल्याण समितियाँ, किशोर न्याय बोर्ड, कार्यान्वयन चुनौतियाँ, पुनर्वास, संस्थागत ढाँचा, भारत।

प्रस्तावना – किशोर न्याय, एक कानूनी और सामाजिक संरचना के रूप में, बाल कल्याण के सिद्धांत और कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों की सुरक्षा और पुनर्वास के लिए राज्य की जिम्मेदारी को दर्शाता है। भारत में, किशोर न्याय (बालकों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (जिसे आगे जेजे अधिनियम, 2015 कहा जाएगा) ने किशोर अपराध पर बढ़ती चिंताओं, विशेष रूप से 2012 के निर्भया मामले के बाद, 2000 के पूर्ववर्ती कानून का स्थान लिया। यह अधिनियम दंडात्मक उपायों के बजाय पुनर्वास, पुनर्एकीकरण और संरक्षण पर केंद्रित एक बाल-अनुकूल न्याय प्रणाली बनाने का प्रयास करता है। हालाँकि, इसके अधिनियमन के एक दशक बाद भी, जमीनी हकीकत लगातार चुनौतियों को दर्शाती है। विधायी मंशा और व्यावहारिक प्रवर्तन के बीच एक बड़ा अंतर है। अपर्याप्त बुनियादी ढाँचा, प्रशिक्षित कर्मियों की कमी, खराब अंतर-विभागीय समन्वय और किशोरों के प्रति सामाजिक कलंक जैसी समस्याएँ इस अधिनियम की प्रभावशीलता को कमजोर कर रही हैं।

इस शोध पत्र का उद्देश्य इन चुनौतियों की व्यापक रूप से जांच करना तथा संवैधानिक गारंटी और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप किशोर न्याय ढांचे को लागू करने की राज्य की क्षमता का आकलन करना है।

अध्ययन के उद्देश्य:

1. जेजे अधिनियम, 2015 के अंतर्गत स्थापित प्रमुख प्रावधानों और संस्थागत तंत्रों का विश्लेषण करना।
2. राज्य और जिला स्तर पर अधिनियम के कार्यान्वयन में आने वाली प्रमुख चुनौतियों की पहचान करना।
3. किशोर न्याय बोर्डों, बाल कल्याण समितियों और बाल देखभाल संस्थानों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना।
4. सरकारी विभागों, पुलिस, न्यायपालिका और गैर-सरकारी संगठनों के बीच समन्वय की सीमा का आकलन करना।
5. किशोर न्याय प्रणाली की दक्षता और संवेदनशीलता में सुधार के लिए नीतिगत सुझाव देना।

शोध पद्धति – यह अध्ययन गुणात्मक और विश्लेषणात्मक पद्धति को अपनाता है, जो मुख्यत: द्वितीयक स्रोतों – सरकारी रिपोर्टों, एनसीपीसीआर ऑडिट, एनसीआरबी के आँकड़े, यूनिसेफ के अध्ययन और बाल अधिकारों एवं किशोर न्याय पर अकादमिक शोध पर आधारित है। क्षेत्रीय असमानताओं को दर्शाने के लिए महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तार प्रदेश और तमिलनाडु जैसे राज्यों की रिपोर्टों से प्राप्त क्षेत्रीय आँकड़ों को शामिल किया गया है।

इस पद्धति में शामिल हैं:

1. वैधानिक प्रावधानों और न्यायिक निर्णयों का सैद्धांतिक विश्लेषण।
2. केस स्टडी और ऑडिट रिपोर्टों के माध्यम से कार्यान्वयन की अनुभवजन्य समीक्षा।
3. संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार सम्मेलन (सीआरसी) के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं से तुलनात्मक अंतर्दृष्टि।
4. किशोर न्याय (बालकों की देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 का अवलोकन

किशोर न्याय (बालकों की देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 (जिसे आगे किशोर न्याय अधिनियम, 2015 कहा जाएगा) बाल अधिकारों

और किशोर न्याय से संबंधित भारत के विधायी इतिहास में एक मील का पत्थर है। इसने किशोर न्याय (बालकों की देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2000 का स्थान लिया और किशोर अपराध, बाल संरक्षण और पुनर्वास की बदलती परिस्थितियों से निपटने के लिए एक अधिक व्यापक ढाँचा प्रस्तुत किया। यह अधिनियम यह सुनिश्चित करता है कि विधि-विरुद्ध बालकों (सीसीएल) और देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों (सीएनसीपी) के साथ अपराधी या आश्रित के रूप में नहीं, बल्कि अधिकारों, सम्मान और समाज में पुन: एकीकरण की क्षमता वाले व्यक्तियों के रूप में व्यवहार किया जाए। यह कानून निर्भया सामूहिक बलात्कार मामले (2012) के बाद जनाक्रोश के बाद लागू किया गया था, जिसमें एक अभियुक्त किशोर था। इस मामले ने मौजूदा किशोर न्याय प्रणाली की पर्याप्तता और जघन्य अपराधों में शामिल बड़े किशोरों के प्रति कथित नरमी पर व्यापक बहस छेड़ दी। परिणामस्वरूप, 2015 के अधिनियम में पुनर्वास न्याय को सार्वजनिक जवाबदेही और निवारण के साथ संतुलित करने के उद्देश्य से कई नए प्रावधान पेश किए गए।

यह अधिनियम संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार सम्मेलन (यूएनसीआरसी), 1989, जिसका भारत ने 1992 में अनुसमर्थन किया था, के तहत भारत के दायित्वों के अनुरूप है और इसमें बच्चों के सर्वोत्ताम हित, भेदभाव न करने और जीवनयापन एवं विकास के अधिकार के सिद्धांतों को एकीकृत किया गया है।

अधिनियम के उद्देश्य – किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के मुख्य उद्देश्यों में शामिल हैं:

1. कानून का उल्लंघन करने वाले या देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों की देखभाल, सुरक्षा, विकास और पुनर्वास का प्रावधान करना।
2. किशोरों से जुड़े मामलों के न्यायनिर्णयन और निपटान के लिए बाल-अनुकूल प्रक्रियाएँ स्थापित करना।
3. ऐसे बच्चों का सामाजिक समावेश सुनिश्चित करते हुए, दंड के बजाय पुनर्वास और पुन: एकीकरण को बढ़ावा देना।
4. भारत के संविधान, विशेषकर अनुच्छेद 14, 15(3), 21, 39(e)-(f) और 45, जो बच्चों की समानता, सुरक्षा और विकास की गारंटी देते हैं, के अनुरूपता सुनिश्चित करना।
5. घरेलू कानून को अंतर्राष्ट्रीय बाल अधिकार अधिनियमों, जैसे कि न्छब्त्ब और बीजिंग नियम (1985) के साथ सुसंगत बनाना।

बच्चों की प्रमुख परिभाषाएँ और वर्गीकरण – यह अधिनियम बच्चों को दो मुख्य समूहों में वर्गीकृत करता है:

1. कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे (CCL)- 18 वर्ष से कम आयु का कोई भी व्यक्ति जिस पर अपराध करने का आरोप है या ऐसा पाया गया है।

2. देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे (CNCP**)-** वे बच्चे जो परित्यक्त, अनाथ, उपेक्षित, दुर्व्यवहार के शिकार हैं, या शोषण या तस्करी के जोखिम में हैं।

यह दोहरा वर्गीकरण सुनिश्चित करता है कि अपराधी और कमजोर दोनों बच्चे एक ही सुरक्षात्मक ढाँचे के अंतर्गत आते हैं, इस प्रकार एक विशुद्ध आपराधिक न्याय मॉडल के बजाय एक व्यापक बाल कल्याण प्रणाली का निर्माण होता है।

अपराधों का वर्गीकरण – 2015 के अधिनियम के महत्वपूर्ण नवाचारों में से एक है अपराध की प्रकृति और गंभीरता के आधार पर अपराधों को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत करना:

1. **छोटे अपराध-** 3 वर्ष तक के कारावास से दंडनीय।
2. **गंभीर अपराध-** 3 से 7 वर्ष के कारावास से दंडनीय।
3. **जघन्य अपराध-** 7 वर्ष या उससे अधिक के कारावास से दंडनीय।

जघन्य अपराध करने के आरोपी 16-18 वर्ष की आयु के किशोरों के लिए, अधिनियम किशोर न्याय बोर्ड (जेजेबी) को उनकी मानसिक और शारीरिक क्षमता, परिणामों की समझ और अपराध की परिस्थितियों का प्रारंभिक मूल्यांकन करने का अधिकार देता है। यदि बोर्ड बच्चे को वयस्क के रूप में मुकदमा चलाने के योग्य पाता है, तो मामला बाल न्यायालय (सत्र न्यायालय) को स्थानांतरित किया जा सकता है। यह प्रावधान, विवादास्पद होते हुए भी, गंभीर अपराधों के मामलों में जवाबदेही और आनुपातिकता सुनिश्चित करने के उपाय के रूप में उचित ठहराया गया था। हालाँकि, आलोचकों का तर्क है कि यह बड़े किशोरों को वयस्क आपराधिक प्रक्रियाओं के अधीन करके किशोर न्याय की पुनर्वासात्मक भावना को कमजोर करता है।

संस्थागत ढाँचा – जेजे अधिनियम, 2015 का कार्यान्वयन बाल-अनुकूल न्याय और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किए गए कई संस्थागत तंत्रों पर आधारित है:

(क) किशोर न्याय बोर्ड (जेजेबी) – जेजेबी कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों से जुड़े मामलों का निपटारा करने के लिए जिम्मेदार है। इसमें एक महानगर मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी) और दो सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं, जिनमें से कम से कम एक महिला होनी चाहिए।

जेजेबी के कार्यों में शामिल हैं:

1. किशोरों द्वारा कथित रूप से किए गए अपराधों की जाँच करना।
2. यह सुनिश्चित करना कि कार्यवाही बच्चों के प्रति संवेदनशील और गैर-विरोधात्मक हो।
3. बच्चों को परामर्श, सामुदायिक सेवा या पुनर्वास के लिए रेफर करना।
4. आवश्यकतानुसार उन्हें अवलोकन गृहों या विशेष गृहों में रखने का आदेश देना।

(ख) बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) – सीडब्ल्यूसी देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों से संबंधित मामलों को संभालती है। इसमें पाँच सदस्य होते हैं, जिनमें कम से कम एक महिला और एक बाल विशेषज्ञ शामिल होता है।

सीडब्ल्यूसी के कार्यों में शामिल हैं:

1. पालक देखभाल, प्रायोजन या गोद लेने जैसी उचित देखभाल व्यवस्थाओं का निर्धारण करना।
2. कार्यों की निगरानी करना
3. बाल देखभाल संस्थानों (सीसीआई) का गठन।
4. बच्चों के सुनवाई के अधिकार और निर्णय लेने की प्रक्रिया में भागीदारी सुनिश्चित करना।

(ग) बाल देखभाल संस्थान (सीसीआई) – यह अधिनियम विभिन्न प्रकार के संस्थानों की स्थापना का प्रावधान करता हैरू

1. **संरक्षण गृह-** पूछताछ के दौरान बच्चों के लिए अस्थायी सुविधाएँ।
2. **विशेष गृह-** अपराधों के लिए दोषी ठहराए गए किशोरों के

दीर्घकालिक प्रवास के लिए।

3. **बाल गृह–** आश्रय, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा की आवश्यकता वाले किशोर देखभाल केंद्रों के लिए।

4. **पश्चात देखभाल गृह–** युवा वयस्कों (18–21 वर्ष) के लिए जिन्हें रिहाई के बाद निरंतर सहायता की आवश्यकता होती है।

इन संस्थानों से बच्चों की सुरक्षा, शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, परामर्श और मनोवैज्ञानिक पुनर्वास सुनिश्चित करने की अपेक्षा की जाती है।

पुनर्वास और सामाजिक पुनर्एकीकरण के प्रावधान – पुनर्वास किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की आधारशिला है। यह कानून गैर-संस्थागत विकल्पों पर जोर देता है, जैसे:

1. **पालक देखभाल–** बच्चों को परिवारों के साथ अस्थायी रूप से रखना।
2. **प्रायोजन–** बच्चों को अलग होने से बचाने के लिए परिवारों या संस्थाओं को वित्तीय सहायता।
3. **दत्तक ग्रहण–** केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (CARA) के माध्यम से अधिनियम के तहत विनियमित, पारदर्शी और नैतिक दत्तक ग्रहण प्रक्रिया सुनिश्चित करता है।
4. **पश्चात देखभाल कार्यक्रम–** संस्थागत देखभाल छोड़ने वाले बच्चों के लिए सहायता, जिसमें व्यावसायिक प्रशिक्षण, शिक्षा और रोजगार के अवसर शामिल हैं।

इन उपायों का उद्देश्य बच्चों को सम्मान और आत्मनिर्भरता के साथ समाज में वापस लाना है।

प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय – यह अधिनियम अनिवार्य करता है कि किशोर न्याय बोर्ड और बाल कल्याण केंद्रों के समक्ष सभी कार्यवाहियाँ बच्चों के अनुकूल और गोपनीय हों। यह किशोर की पहचान के प्रकाशन पर प्रतिबंध लगाता है और यह सुनिश्चित करता है:

1. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) के माध्यम से कानूनी सहायता।
2. मनोवैज्ञानिक परामर्श और आवधिक सामाजिक जाँच रिपोर्ट।
3. निर्धारित समय-सीमा (आमतौर पर जांच के लिए चार महीने) के भीतर मामलों का शीघ्र निपटारा।

इसके अतिरिक्त, 18 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को रिहाई की संभावना के बिना मृत्युदंड या आजीवन कारावास की सजा नहीं दी जा सकती।

जवाबदेही और निगरानी तंत्र – यह अधिनियम राज्य सरकारों और जिला बाल संरक्षण इकाइयों (डीसीपीयू) को बाल संरक्षण सेवाओं के कामकाज की निगरानी और समन्वय की जिम्मेदारी देता है। राष्ट्रीय और राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर और एससीपीसीआर) अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निगरानी निकायों के रूप में कार्य करते हैं। इसके अलावा, अधिनियम की धारा 109 केंद्र और राज्य सरकारों को प्रभावी कार्यान्वयन के लिए नियम बनाने का अधिकार देती है, जबकि धारा 110 आवधिक समीक्षा और निगरानी को अनिवार्य बनाती है।

अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ एकीकरण – जेजे अधिनियम, 2015 में कई अंतर्राष्ट्रीय संधियों के सिद्धांत शामिल हैं:

1. **बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (सीआरसी) –** पुनर्वास और पुन: एकीकरण पर जोर देता है।
2. **बीजिंग नियम (1985) –** किशोर न्याय प्रशासन के लिए मानक न्यूनतम नियम।
3. **रियाद दिशानिर्देश (1990) –** किशोर अपराध की रोकथाम पर केंद्रित।
4. **हवाना नियम (1990) –** स्वतंत्रता से वंचित किशोरों के संरक्षण से संबंधित।

इन एकीकरणों के माध्यम से, अधिनियम का उद्देश्य भारत की किशोर न्याय प्रणाली को वैश्विक मानवाधिकार मानकों के अनुरूप बनाना और बाल अपराधियों के प्रति एक दयालु, सुधारात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना है।

आलोचनात्मक मूल्यांकन – यद्यपि 2015 का अधिनियम एक सशक्त और दूरदर्शी कानून है, फिर भी इसके कुछ प्रावधानों की आलोचना हुई है:

1. 16–18 वर्ष के बच्चों पर वयस्कों की तरह मुकदमा चलाने की अनुमति देने वाली स्थानांतरण प्रणाली को बाल अधिकार अधिवक्ता प्रतिगामी मानते हैं।
2. कार्यान्वयन का बोझ काफी है, क्योंकि कई राज्यों में पर्याप्त बुनियादी ढाँचे, प्रशिक्षित कर्मियों और धन का अभाव है।
3. पुनर्वास के उपाय, हालाँकि नेकनीयती से किए गए हैं, लेकिन कमजोर निगरानी और सामाजिक कलंक के कारण अक्सर इनका कम उपयोग किया जाता है।

इन सीमाओं के बावजूद, जेजे अधिनियम, 2015 एक व्यापक विधायी साधन बना हुआ है जो समाज की सुरक्षा और बच्चों के संवैधानिक और मानवाधिकारों को बनाए रखने के बीच एक नाजुक संतुलन बनाने का प्रयास करता है।

कार्यान्वयन में चुनौतियाँ

संस्थागत कमियाँ – किशोर न्याय बोर्ड और बाल कल्याण समितियों का अपर्याप्त संचालन- कई जिलों में पूर्णत: क्रियाशील बोर्ड का अभाव है। एनसीपीसीआर की 2022 की रिपोर्ट में कहा गया है कि केवल लगभग 60: बाल कल्याण समितियों में ही आवश्यक सदस्यों की संख्या थी। सदस्यों की रिक्तियाँ और नियुक्तियों में देरी निर्णय लेने की प्रक्रिया को कमजोर करती है और परिणामस्वरूप मामलों का लंबित बोझ बढ़ता है।

सीमित प्रशिक्षण और विशेषज्ञता– कर्मचारियों में अक्सर पर्याप्त बाल मनोविज्ञान और कानूनी प्रशिक्षण का अभाव होता है, जिसके परिणामस्वरूप प्रक्रियात्मक खामियाँ और मामलों का असंवेदनशील संचालन होता है।

बुनियादी ढाँचा और संसाधनों की कमी:

1. **बाल देखभाल संस्थानों (सीसीआई) की कमी–** कई बाल गृहों में भीड़भाड़ है और बुनियादी सुविधाओं का अभाव है।
2. **खराब निगरानी तंत्र–** निरीक्षण अनियमित हैं कई संस्थान अपंजीकृत हैं या निर्धारित मानकों को पूरा करने में विफल हैं।
3. **वित्त पोषण संबंधी समस्याएँ–** एकीकृत बाल संरक्षण योजना (आईसीपीएस) के तहत अपर्याप्त बजट आवंटन और विलंबित निधि जारी होने से सेवा वितरण प्रभावित होता है।

समन्वय और प्रशासनिक कमियाँ:

1. पुलिस, बाल कल्याण समितियों, किशोर न्याय बोर्ड और गैर-सरकारी संगठनों के बीच समन्वय की कमी से दोहराव और अकुशलता बढ़ती है।
2. एकीकृत डेटा प्रणालियों का अभाव बच्चों की ट्रैकिंग और पुनर्वास में बाधा डालता है।

3. राज्यों की प्रशासनिक प्रतिबद्धता में व्यापक अंतर है, जिससे कार्यान्वयन असमान होता है।

सामाजिक और सांस्कृतिक बाधाएँ:

1. किशोरों और पीड़ितों को लगातार कलंकित करने से पुनर्एकीकरण में बाधा आती है।
2. सामुदायिक भागीदारी और जागरूकता का अभाव बाल संरक्षण तंत्रों की प्रभावशीलता को कम करता है।

कानूनी और प्रक्रियात्मक चुनौतियाँ:

1. जघन्य अपराधों में 16-18 वर्ष की आयु के किशोरों पर वयस्कों की तरह मुकदमा चलाने के प्रावधान ने न्यायिक आवेदन में भ्रम और असंगति पैदा की है।
2. वयस्कों की तरह मुकदमा चलाए गए बच्चों के लिए स्पष्ट पुनर्वास दिशानिर्देशों का अभाव न्याय और सुधार के बीच एक अंतर पैदा करता है।
3. देखभाल के बाद के प्रावधानों का कमजोर प्रवर्तन रिहा किये गये किशोरों में पुनरावृत्ति को रोकने में विफल रहता है।

केस स्टडी और अनुभवजन्य निष्कर्ष

दिल्ली- HAQ सेंटर फॉर चाइल्ड राइट्स द्वारा 2021 में किए गए एक अध्ययन से पता चला है कि मनोवैज्ञानिकों और परिवीक्षा अधिकारियों की अनुपलब्धता के कारण 30% से अधिक किशोर न्याय बोर्ड (JJB) की सुनवाई में देरी हुई।

महाराष्ट- टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज (TISS) द्वारा CCI के ऑडिट में पाया गया कि 70% में परामर्शदाताओं या प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ताओं का अभाव था।

उत्तर प्रदेश- महिला एवं बाल विकास विभाग (2020) की रिपोर्ट में बताया गया है कि 40% बाल कल्याण केंद्र (CWC) उचित बुनियादी ढाँचे के बिना संचालित होते हैं।

तमिलनाडु- मॉडल संप्रेक्षण गृहों ने प्रदर्शित किया कि समुदाय-आधारित पुनर्वास कार्यक्रमों ने पुन: अपराध दर में उल्लेखनीय कमी की है, जो स्थानीय हस्तक्षेपों के महत्व को रेखांकित करता है।

न्यायपालिका और मानवाधिकार आयोगों की भूमिका - भारतीय न्यायालयों ने किशोर न्याय की भावना की व्याख्या करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। शीला बरसे बनाम भारत संघ (1986) और सम्पूर्णा बेहुरा बनाम भारत संघ (2018) में, सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यों को कार्यात्मक किशोर न्याय बोर्ड और बाल कल्याण केंद्र स्थापित करने का निर्देश दिया और प्रशिक्षण एवं निगरानी पर जोर दिया।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) और एनसीपीसीआर नियमित रूप से संस्थागत देखभाल में सुधार के लिए दिशानिर्देश जारी करते हैं, फिर भी प्रवर्तन तंत्र की कमी के कारण इनका अनुपालन असंगत बना हुआ है।

सुझाव:

1. **समुदाय और गैर-सरकारी संगठनों की भागीदारी-** स्थानीय स्तर के पुनर्वास कार्यक्रमों और परिवार-आधारित देखभाल को बढ़ावा दें।
2. **क्षमता निर्माण-** किशोर न्याय बोर्ड और बाल कल्याण समिति के सदस्यों के लिए बाल मनोविज्ञान, कानून और सामाजिक कार्य पर अनिवार्य, आवधिक प्रशिक्षण।
3. **बुनियादी ढाँचे का उन्नयन-** सरकार को सभी बाल कल्याण संस्थानों में पर्याप्त धन और मानकीकृत सुविधाएँ सुनिश्चित करनी चाहिए।
4. **एकीकृत निगरानी प्रणालियाँ-** बच्चों की वास्तविक समय पर निगरानी के लिए पुलिस, न्यायालयों और कल्याण विभागों को जोड़ने वाले डिजिटल डेटाबेस स्थापित करें।
5. **नीति सुधार-** रिहाई के बाद किशोरों के लिए देखभाल, कौशल विकास और व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों को सुदृढ़ करें।
6. **लिंग-संवेदनशील उपाय-** किशोर लड़कियों और तस्करी या दुर्व्यवहार की शिकार महिलाओं के लिए अलग-अलग सुविधाएँ और हस्तक्षेप विकसित करें।

निष्कर्ष - किशोर न्याय अधिनियम, 2015 भारत के बाल संरक्षण ढाँचे में एक प्रगतिशील और आवश्यक कानून बना हुआ है। हालाँकि, जमीनी स्तर की वास्तविकताएँ संस्थागत अपर्याप्तताओं, अपर्याप्त समन्वय और प्रशिक्षित कर्मियों की कमी के कारण इसके कार्यान्वयन में व्यापक अंतर को उजागर करती हैं। इस अधिनियम की प्रभावशीलता राज्य की नीति और व्यवहार में सामंजस्य स्थापित करने की क्षमता पर निर्भर करती है - यह सुनिश्चित करते हुए कि किशोर न्याय वास्तव में प्रतिशोध के बजाय सुधार, पुनर्वास और पुनर्एकीकरण का साधन बने। प्रत्येक बच्चे के सम्मान और सुरक्षा के संवैधानिक वादे को साकार करने के लिए संस्थागत क्षमताओं को सुदृढ़ करना, जन जागरूकता बढ़ाना और एक समग्र, बाल-केंद्रित दृष्टिकोण अपनाना अनिवार्य है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. National Commission for Protection of Child Rights. Annual Report 2021–22. New Delhi: NCPCR, 2022.
2. National Crime Records Bureau. Crime in India Report 2022. New Delhi: Ministry of Home Affairs, Government of India, 2023.
3. UNICEF India. Child Protection and Juvenile Justice System in India: A Study of Implementation. New Delhi: UNICEF, 2020.
4. Tata Institute of Social Sciences. Audit of Child Care Institutions in Maharashtra. Mumbai: TISS, 2021.
5. Sheela Barse v. Union of India, (1986) 3 SCC 596.
6. Sampurna Behura v. Union of India, (2018) 4 SCC 433.
7. HAQ: Centre for Child Rights. Status of Juvenile Justice in Delhi: Implementation Review of the JJ Act, 2015. New Delhi, 2021.

****